



28.01.25  
Note prepared by  


पत्रावली पेश | वादी वकील उपस्थित।  
वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण  
को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः  
प्रकरण को जरिये नोट प्रेष खाबीज  
फरमावे। हमने पत्रावली का अवलोकन  
किया। वादी अधिवक्ता प्रकरण को  
जरिये नोट खाबीज करवाना चाहते हैं।  
अतः प्रकरण को जरिये नोट प्रेष  
खाबीज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल नुमार होकर नंबर से कम है।



  
सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)